प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 अगस्त, 2025

विषयः- जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन पुत्र श्री जगदीश पुजारी, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-5781/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-22.02.2024), दिनांक 01.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन पुत्र श्री जगदीश पुजारी, महेश नगर कालौनी, थाना-राया, जनपद-मथुरा का निवासी है। आपसी रंजिश को लेकर दिनांक 23.09.2009 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मंदिर से वापस आते समय प्लास्टिक की कट्टी से तेजाब डाल दिया, जिससे रेखा बुरी तरह से जल गयी तथा चिकित्सालय में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-200/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302, 326 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-06, मथुरा के आदेश दिनांक 11.03.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनाक 06.10.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 07 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 19 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज में सनसनी फैलाने वाला होने, भविष्य में अपराध करने की क्रूर मानसिकता होने, पुनः अपराध में सम्मिलित होनें और पुनः घटना घटित करने की सम्भावना होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि आपसी रंजिश को लेकर दिनांक 23.09.2009 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मंदिर से वापस आते समय प्लास्टिक की कट्टी से तेजाब डालकर रेखा को बुरी तरह से जलाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कालीचरन पुत्र जगदीश पुजारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन (बंदी संख्या-96/2014) पुत्र श्री जगदीश पुजारी, निवासी जनपद-मथुरा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1009/2025/647(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1009/2025/647/22-2-2024-17(339)/2024

दिनांक 12 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन पुत्र श्री जगदीश पुजारी, महेश नगर कालौनी, थाना-राया, जनपद-मथुरा का निवासी है। आपसी रंजिश को लेकर दिनांक 23.09.2009 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मंदिर से वापस आते समय प्लास्टिक की कट्टी से तेजाब डाल दिया, जिससे रेखा बुरी तरह से जल गयी तथा चिकित्सालय में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-200/2010 में भा0द0वि0 की धारा-302, 326 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-06, मथुरा के आदेश दिनांक 11.03.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनाक 06.10.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 07 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 19 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज में सनसनी फैलाने वाला होने, भविष्य में अपराध करने की क्रूर मानसिकता होने, पुनः अपराध में सम्मिलित होनें और पुनः घटना घटित करने की सम्भावना होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि आपसी रंजिश को लेकर दिनांक 23.09.2009 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मंदिर से वापस आते समय प्लास्टिक की कट्टी से तेजाब डालकर रेखा को बुरी तरह से जलाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कालीचरन पुत्र जगदीश पुजारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।